मध्य प्रदेश शासन भू-सुधार विभाग

क्रमांक एफस१३-४-२८-७८ भोपाल, दिनांक २८ फरवरी, १९८२

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश,

विषय- कब्रस्तान की पडती भूमि का बंटन ।

सेन्ट्रल वक्फ कोंसिल नई दिल्ली से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । पत्र में कब्रस्तान के लिए सुरक्षित भूमि में से वह भूमि जिसे कि कबरों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है पडती मानकर उसे पट्टे पर देने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है अनुमान है कि हमारे यहां इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई होगी ।

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ के अन्र्गत प्रत्येक ग्राम में निस्तार पत्रक तैयार किये जाते है । जिस में कब्रस्तान आदि के लिए भूमि सुरक्षित रखी जाती है । ऐसी सुरक्षित भूमि का उपयोग अन्य कार्य के लिए धारा २१७(एक) म० प्र० भू० रा० संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही किए बिना नहीं किया जा सकता । अतः सूचित किया जाता है कि कब्रस्तान के लिए सुरक्षित भूमि को किसी दूसरे कार्य के लिए उपयोग में लेने के लिए परिवर्तित न की जाये । व उसे पूववर्त कब्रस्तान के लिए ही सुरक्षित रखा जाय ।

सही
(मूलचन्द शुक्ल)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, भू-सुधार विभाग,